


06  $\frac{4}{26}$

पत्रावली पेश। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को  
बार-2 आवाज लगाई गई। बार-2 आवाज  
लगाने के बावजूद भी प्रार्थी व वकील  
प्रार्थी-थायालय में हाजिर नहीं आये।

अतः प्राणी का आवेदन अं. धारा 212  
RFA अदम राजरी अदम पैरवी में  
स्वीकारित किया जाता है। पत्रावली के लिये  
सुमार लेकर सम्भव से कम लेकर दक्षिण  
दफ्तर ले।

  
उपखण्ड अधिकारी  
वाल्मारागढ़